

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00161

नन्दलाल आत्मज राधाकिशन जाति मीणा निवासी पामाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्त

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री राकेश सुवालका, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।  
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 16.04.2021

1. अपीलान्त द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2020 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पामाखेडी तहसील रामगंजमण्डी में खसरा नम्बर 01 की रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा भूमि किस्म चारागाह स्थित है । उक्त भूमि में 05 बीघा भूमि नेशनल हाइवे नं0 12 सडक के किनारे पामाखेडी गाँव में जिलाधीश महोदय कोटा के आदेश दिनांक 04.04.1983 से किस्म परिवर्तन आबादी में हुआ एवं दिनांक 21.09.1983 को तहसीलदार रामगंजमण्डी से इंतकाल स्वीकृत हुआ एवं मौके पर ग्राम पंचायत सलावदखुर्द को उक्त आबादी की 05 बीघा भूमि पर कब्जा दिया गया । उक्त भूमि में से कुछ व्यक्तियों को आवंटित कर पट्टा 45 बाई 30 फिट आवंटी के नाम में दिया गया एवं मौके पर वादी को कब्जा संभला दिया गया । उसके पश्चात् वादी ने अपने पट्टेशुदा भूखण्ड पर पक्का बनाया एवं उसमें निवास करने लगा । सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने सेटलमेंट करते समय राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में मनमाने तरीके से खसरा नम्बरान अंकित कर नक्शा ट्रेस में परिवर्तन कर

विवाद की स्थिति पैदा कर दी है । वादी की पट्टेशुदा भूमि सिक्स लाईन रोड में आवाप्त हुई है, वादी मुआवजा प्राप्त करने से वंचित हो गया है । उक्त परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय से इस आशय की डिक्री प्राप्त करे कि सेटलमेंट द्वारा नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकॉर्ड में पुराने खसरा नम्बर 01 में पामाखेडी रोड के सहारे 05 बीघा भूमि आबादी में दर्ज हुई थी उसके द्वारा नम्बर 03 चारागाह दर्ज कर दिये हैं इसे खारिज कर वापस खसरा नम्बर 01 रकबा 05 बीघा आबादी में दर्ज किया जाना एवं इसी प्रकार से नक्शा ट्रेस भी अंकित किया जावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि सेटलमेंट द्वारा नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकॉर्ड में पुराने खसरा नम्बर 01 में पामाखेडी रोड के सहारे जो 05 बीघा भूमि आबादी में दर्ज हुई थी उसके खसरा नम्बर 03 चारागाह दर्ज कर दिये हैं इसे खारिज कर वापस खसरा नम्बर 01 रकबा 05 बीघा आबादी में दर्ज किया जावे एवं नक्शा ट्रेस में भी इसी तरह अंकित किया जावे । मुआवजा राशि आबादी की भूमि और वादी के पट्टे की भूमि में बने हुए मकान की मुआवजा राशि जो जमा है उसे जमा रहने दी जावे एवं वादी के पक्ष में रिकॉर्ड दुरुस्ती होने के पश्चात् वादी को भुगतान करने की व्यवस्था की जावे ।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2020 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।
5. अधीनस्थ न्यायालय द्वार पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2020 से व्यथित होकर वादी अपीलान्त ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्त वादी को ग्राम पंचायत सलावद खुर्द द्वारा दिनांक 16.11.1984 को दिये गये पट्टे के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्त का मकान स्थित है जिसमें अपीलान्त अपने परिवार सहित निवास करता है । अपीलान्त को वादग्रस्त आराजी पर कब्जा भी पंचायत द्वारा वैध रूप से संभलाया गया था। अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत सशपथ साक्ष्य का कोई खण्डन प्रतिवादी की ओर से नहीं किया गया है । अपीलान्त इसी आधार पर पर आदेश 08 निमय 10 सीपीसी के तहत सीधा ही डिक्री प्राप्त करने का अधिकार हो गया था । सेटलमेंट विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2020 निरस्त फरमाया जावे ।
6. अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
7. अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पामाखेडी तहसील रामगंजमण्डी में खसरा नम्बर 01 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा में से 05 बीघा भूमि जो कि नेशनल हाईवे नं0 12 के किनारे है, जिलाधीश कोटा के आदेश दिनांक 04.04.1983 से किस्म परिवर्तन आबादी में हुआ और दिनांक 21.09.2003 को इंतकाल दर्ज हुआ व मौके पर ग्राम पंचायत सलावदखुर्द को उस पर कब्जा दिया गया । अपीलान्त वादी को दिनांक 16.11.1984 को एक पट्टा 45 X 30 का दिया गया और कब्जा दिया गया जिस पर काफी पैसा खर्च कर पक्का मकान बनाया है और निवास करने लगे हैं ।




सेटलमेंट के कर्मचारियों ने राजस्व अभिलेख एवं नक्शे में परिवर्तन कर विवाद की स्थिति पैदा कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से दावा खारिज किया है। प्रतिवादी के द्वारा कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादी का जवाबदावा बन्द किया गया है फिर भी दावा खारिज किया गया है। अपीलान्त की साक्ष्य का खण्डन नहीं किया गया है। सेटलमेंट विभाग को राजस्व अभिलेख में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2020 निरस्त फरमाया जावे।

8. रेस्पोजेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी अपने दावे को सिद्ध नहीं पाये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन कर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2020 बहाल रखा जावे।
9. अपीलान्त ने अपील के साथ कुछ दस्तावेजात पेश किये हैं जिनमें नामान्तरकरण संख्या 111 की फोटो प्रति है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत सलावदखुर्द को रकबा 05 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु दी गई है। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071-74 पेश की है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत सलावदखुर्द के खाते में कुल 03 किता की 3.15 हैक्टर आराजी दर्ज है और ग्राम पंचायत के द्वारा जारी किये गये पट्टी की फोटो प्रति भी पेश की गई है। मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति पेश की गई है जिसके अनुसार साबिक खरा नम्बर 01 मिन के हाल खसरा नम्बर 1, 2 और 3 कायम किये गये हैं। कुछ फोटोग्राफ भी पेश किये गये हैं।
10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम एवं धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह दावा पेश किया गया है और इसमें यह सहायता मांगी है कि साबिक खसरा नम्बर 01 की 05 बीघा आराजी जो कि आबादी में दर्ज हुई है उसका खसरा नम्बर 03 चारागाह दर्ज किया गया है उसको खारिज कर खसरा नम्बर 01 रकबा 05 बीघा आबादी में दर्ज किया जावे और नक्शे को संशोधित किया जावे।
11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नामान्तरकरण संख्या 98 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-पी-1 के रूप में संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 01 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा में से 05 बीघा भूमि आबादी विस्तार के लिए सेट-अपार्ट की गई है। नामान्तरकरण संख्या 111 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-पी-2 के रूप में संलग्न है। नक्शा ट्रेस हाल खसरा नम्बरान और साबिक खसरा नम्बरान पेश किये गये हैं। मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति पेश की गई है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 01 मिन रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 01 और साबिक खसरा नम्बर 01 मिन का रकबा 05 बीघा के हाल खसरा नम्बर 02 और साबिक खसरा नम्बर 01 मिन जिसके कि रकबा अंकित नहीं हैं हाल खसरा नम्बर 03 दर्ज किया गया है। नकल जमाबन्दी प्रदर्श-6 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2, 6 और 178 ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज है। प्रदर्श-पी-7 के अनुसार चारागाह में खसरा नम्बर 01 की 26 बीघा 15 बिस्वा के साथ कुल 08 किता की 116 बीघा 15 बिस्वा आराजी दर्ज है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 03 भी शामिल है। जमाबन्दी प्रदर्श-पी-8 के अनुसार ग्राम पंचायत

21

सलावदखुर्द के खाते में कुल 08 किता की 116 बीघा 17 बिवा चारागाह में दर्ज है । एक पट्टे की फोटो प्रति भी पेश की गई है और मौका रिपोर्ट भी पत्रावली पर संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 03 की रकबा 3.87 हैक्टर का मौका देखा गया और इस रिपोर्ट में अंकित है कि खसरा नम्बर 03 गत खसरा नम्बर 01 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा से बना है । गत खसरा नम्बर 01 के हाल खसरा नम्बर 1, 2 और 3 कायम किये गये है। और इसमें से गत खसरा नम्बर 01 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा में से 05 बीघा आराजी जो कि आबादी में दर्ज हुई थी उसके नये नम्बर 02 रकबा 0.81 हैक्टर कायम किये गये हैं जो गेर मु0 आबादी दर्ज है । प्रार्थी का मकान खसरा नम्बर 03 किस्म चारागाह में बना है ।

12. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 02 साबित खसरा नम्बर 01 मिन रकबा 05 बीघा से बने हैं और रकबा गैर मु0 आबादी दर्ज रिकॉर्ड है । वादी के द्वारा जो ग्राम पंचायत के पट्टे की प्रति पेश की गई है वो प्रथम तो फोटो प्रति है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है और दूसरा इसमें खसरा नम्बर अंकित नहीं किया गया है और इस पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं । आराजी ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार के लिए जिला कलक्टर के आदेश से आवंटित की गई थी और सेटलमेंट के उपरान्त उसके नये खसरा नम्बर 02 रकबा 0.81 हैक्टर दर्ज किये गये हैं । यदि ग्राम पंचायत नक्शे में दुरुस्ती करवाना चाहती है तो वो भू-राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं ।
13. अपीलान्त का यह कथन है कि इनको ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा दिया गया है । ऐसी स्थिति में यदि आबादी का पट्टा ग्राम पंचायत ने दिया है तो ग्राम पंचायत को पट्टे के अनुसार पट्टे में प्रदान की गई भूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहिए । साबिक खसरा नम्बर 01 के नक्शे में कोई तरमीम नहीं हो रही है और सेटलमेंट के उपरान्त नक्शे में तरमीम की गई है और मुताबिक रिपोर्ट हाल खसरा नम्बर 02 ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार के लिए आवंटित की गई भूमि है । इन तथ्यों के आधार पर वादी अपीलान्त का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है और वैसे भी नक्शे में दुरुस्ती की सहायता भू-राजस्व अधिनियम में मांगी जा सकती है न कि राजस्थान कातशकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 में । नक्शे में दुरुस्ती की सहायता ग्राम पंचायत के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है क्योंकि आबादी विस्तार के लिए आराजी ग्राम पंचायत को आवंटित की गई है और अपीलान्त के द्वारा जो पट्टे की फोटो प्रति पेश की गई है वो न तो साक्ष्य में ग्राह्य है और न ही उस पर किसी के हस्ताक्षर हैं और न ही उसमें खसरा नम्बर अंकित है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।
14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2020 बहाल रखा जाता है ।
15. निर्णय आज दिनांक 16.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(भागवती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा